संख्या-17/2020/ 191/कनिप्र/26-3-2020-13(163)/91

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
   समाज कल्याण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 17 मार्च,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 14/2020/46/क0नि0प्र0/26-3-2020-13(163)/91 दिनांक 25 फरवरी,2020 द्वारा नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के 8000 भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनपदवार कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया गया था। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25 फरवरी,2020 में आंशिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के संलग्नक में निम्नलिखित जनपदों की कार्यदायी संस्थाओं को अब निम्नानुसार पढ़ा एवं समझा जाय:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	कार्यदायी संस्था का नाम
1.	बलिया	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
2.	जौनपुर	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
3.	अम्बेडकर नगर	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
4.	कन्नौज	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
5.	बलरामपुर	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
6.	खीरी	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान,लखनऊ।
7.	सीतापुर	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान,लखनऊ।

2- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-14/2020/46/क0नि0प्र0/26-3-2020-13(163)/91 दिनांक 25 फरवरी,2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-17/2020/191/(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची नामित संशोधित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्रयोग निगम मुरादाबाद/इलाहाबाद।

5- अध्यक्ष ग्रामोद्योग विकास संस्थान सी-1/3/418 विशाल खण्ड-3 गोमती नगर लखनऊ।

6- सचिव, एकीकृत सहकारी विकास संघ लि0, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in